उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

" सीसीटीएनएस की रैंकिंग में जनपद महोबा को प्रथम स्थान "

मुख्यालय तकनीकी सेवाएं द्वारा पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा एवं कं.ऑ. ग्रेड बी रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र से किया गया सम्मानित-

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपद को पुनः प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

सीसीटीएनएस योजना की प्रगति के संबंध में मुख्यालय तकनीकी सेवाएं द्वारा जुलाई 2025 के डाटा के अनुसार जनपदों की रैंकिंग की गई है। जिसमें लम्बित अभियोगों के त्वरित निस्तारण को लेकर जारी प्रदेश स्तरीय सीसीटीएनएस रैंकिग में जनपद महोबा पुलिस को 100 % अंको के साथ एक बार फिर से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

इस उपलब्धि पर **श्री नवीन अरोरा,** अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह सहित जनपद में सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर (डीसी) का कार्य देख रहे कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी रहमान रशीद को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है तथा विभाग की प्रतिष्ठा बढाने में सहयोग किये जाने हेतु प्रशंसा की गई है। साथ ही साथ भविष्य में भी इसी प्रकार पूर्ण मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ सौपें गये दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की गयी है।

ध्यातव्य रहे कि पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल नेतृत्व में जनपद को पुनः प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

क्या है सीसीटीएनएस पोर्टल-

सीसीटीएनएस के माध्यम से किसी भी अपराध से जुड़ी हुई रिपोर्ट के साथ ही प्रकरण किस स्थिति में है। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस मामले में किस स्तर पर विवेचना कर रही है। लगभग यह सभी जानकारियां चालान पेश होने तक की हर गतिविधि को सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में ऑनलाइन किया जाता है।

सीसीटीएनएस की रैंकिंग से जुडे महत्वपूर्ण पोर्टल-

1. CCTNS portal Ke IIF forms 2. Training certificate portal
3. Pared portal 4. Field unit portal
5. PG portal6. Foot patrolling portal
7. Crimac portal 8. ICJS portal
9. Crime analytical portal 10. NAFIS portal

इन सभी पोर्टल में अच्छी फीडिंग व मॉनिटरिंग के आधार पर महोबा पुलिस को तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।

@MahobaPolice

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 27.08.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 27.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने मुकदमें से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 27.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सूरज कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा द्वारा गस्त एवं चेकिंग के दौरान 01 नफर वारंटी अभि0 बब्लू पुत्र गोला यादव उर्फ रामदयाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम नरेडी थाना चरखारी जनपद महोबा केश नं0 167/17 मु.अ.सं. 149/17 धारा 354(A)/354(B)/354(D) IPC थाना चरखारी के सम्बन्ध में मा0 न्याय0 सिविल जज (जू0डि0)/जे.एम. चरखारी के द्वारा निर्गत वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त को ग्राम नरेडी थाना चरखारी से नियमानुसार गिरफ्तार कर सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

उ0नि0 सूरज कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त :-

बब्लू पुत्र गोला यादव उर्फ रामदयाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम नरेडी थाना चरखारी जनपद महोबा

महोबा पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 27.08.2025

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई :

अवैध शस्त्र व कारतूस सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 27.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्वेक्षण में प्र0नि0 थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया, गठित पुलिस टीमों द्वारा दो अलग–अलग स्थानों से कार्यवाही करते हुए कुल 02 नफर अभियुक्तों को अवैध शस्त्र व कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया।

उ0नि0 अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रथम पुलिस टीम द्वारा रिवई मोड़ प्रतिक्षालय वहद ग्राम रिवई से अभियुक्त केशकुमार राजपूत पुत्र मनीराम राजपूत उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम ब्यारजो थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

इसी क्रम में वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा भोला कुआं दुलारा मोड़, ग्राम दुलारा से अभियुक्त चन्द्रशेखर धीमर पुत्र मनप्यारे धीमर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम दुलारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ।

उपरोक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 143/2025 व मु0अ0सं0 144/2025, धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीमें –

टीम-1 :

1. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह थाना महोबकंठ
2. हे0कां0 विनय कुमार सोमवंशी

टीम-2 :

1. वरि0उ0नि0 कन्हैयालाल यादव थाना महोबकंठ
2. कां0 नितिन कुमार

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना महोबकंठ पुलिस टीम की बड़ी सफलता :

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एवं 25-25 हजार रुपये के इनामिया आपराधिक प्रवृत्ति के 02 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में आपराधिक प्रवृत्ति के शातिर ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है।

आज दिनांक 27.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अरुण कुमार के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार के नेतृत्व में थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के घुटई तिराहा के पास से 25-25 हजार रुपये के इनामिया 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्तों की पहचान क्रमशः 1.रघ्घू ठाकुर उर्फ राघवेन्द्र सिंह, पुत्र स्व. हरिनाथ सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम थुरट, थाना अजनर, जनपद महोबा। 2.अंकित राजपूत उर्फ अनिकेत, पुत्र महिपाल, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी ग्राम खिरिया, थाना अजनर, जनपद महोबा। के रुप में हुई है।

उक्त दोनों अभियुक्त मु0अ0सं0 140/25 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना महोबकंठ से सम्बन्धित अभियोग में वांछित चल रहे थे। अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना महोबकंठ पुलिस टीम की इस उल्लेखनीय सफलता से अपराधियों के मनोबल पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा आम जनता में सुरक्षा की भावना और अधिक सुदृढ़ होगी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार, थाना महोबकंठ
2. उ0नि0 फूलचन्द्र सिंह
3. का0 अमित कुमार 4.का0 अंकित सिंह

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभि. रघ्घू ठाकुर उर्फ राघवेन्द्र सिंह पुत्र हरिनाथ सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 28/25 धारा 304/317(2) बीएनएस थाना महोबकंठ
2. मु0अ0सं0 49/20 धारा 323/354क/427/504/506 भादवि व SC/ST एक्ट थाना अजनर
3. मु0अ0सं0 151/20 धारा 323/353/504/506 भादवि व SC/ST एक्ट थाना अजनर
4. मु0अ0सं0 176/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना अजनर
5. मु0अ0सं0 178/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजनर
6. मु0अ0सं0 559/13 धारा 354 भादवि थाना अजनर
7. मु0अ0सं0 259/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुलपहाड़
8. मु0अ0सं0 147/24 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना कुलपहाड़
9. मु0अ0सं0 150/20 धारा 323/504/506 भादवि थाना कुलपहाड़

अभि. अंकित राजपूत उर्फ अनिकेत पुत्र महिपाल राजपूत का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 140/25 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना महोबकंठ

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना खरेला का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

आज दिनांक 27.08.2025 को क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री रविकांत गोंड द्वारा चरखारी सर्किल अन्तर्गत थाना खरेला का त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना अभिलेखों की आद्यावधिक स्थिति, मालखाना में रखे माल मुकदमाती वस्तुओं/वाहनों का रखरखाव, *ऑपरेशन क्लीन–2* के तहत निस्तारण की स्थिति, आर्म्स एंड एम्युनिशन तथा एंटी राइट उपकरणों की उपलब्धता एवं रखरखाव की विस्तार से जांच की गई।

क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना मेस व बैरक भवनों का निरीक्षण कर साफ–सफाई, रंगरोगन एवं समुचित रखरखाव हेतु आवश्यक हिदायत दी गई। इस अवसर पर थानाध्यक्ष खरेला श्रीमती सुषमा चौधरी व थाने पर तैनात उपनिरीक्षकों के साथ बैठक कर उन्हें आगामी त्यौहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

साथ ही विवेचनाओं व IGRS/शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, निरोधात्मक कार्यवाही, नियमित पैदल गश्त व सघन चेकिंग करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त थानाक्षेत्र में जुआ, मादक पदार्थों व शराब की अवैध बिक्री तथा अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भी कड़े निर्देश दिए गए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने थाना कोतवाली नगर का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 27.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर में स्थित महिला हेल्प डेस्क पहुँचकर कार्यों का अवलोकन किया एवं आवश्यक फीडबैक लिया। इस दौरान आवेदिकाओं/पीड़िताओं के नाम, पते, समस्या का स्पष्ट उल्लेख एवं निराकरण की स्थिति की जानकारी की गई।

इसके उपरान्त थाना कार्यालय, मालखाना, बंदी गृह, संतरी पहरा, कम्प्यूटर कक्ष, विवेचक कक्ष, साइबर हेल्प डेस्क, भोजनालय एवं थाना परिसर की साफ-सफाई का निरीक्षण किया गया। मालखाने में रखे शस्त्रों की साफ-सफाई व रख-रखाव का भी परीक्षण किया गया।

साइबर हेल्प डेस्क के निरीक्षण में बढ़ते साइबर अपराधों पर त्वरित संज्ञान लेकर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय में रखे विभिन्न अभिलेखों यथा- त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, टॉप-10 अपराधियों की सूची आदि का अवलोकन कर अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही करने एवं नए सिरे से टॉप-10 अपराधियों को चिन्हित कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही थाना परिसर में खड़े माल मुकदमाती एवं लावारिस वाहनों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष पाण्डेय को निर्देशित किया गया।

निरीक्षण के दौरान थाना हाजा में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई और समाधान हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष पाण्डेय सहित समस्त चौकी प्रभारी, हेड मुहर्रिर, अपर पेशी कार्यालय मुंशी सत्येन्द्र गुप्ता सहित अन्य अधि./कर्म. मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली नगर महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत थाना क्षेत्र के आयोजकों एवं डीजे संचालकों के साथ की गोष्ठी दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...।

जनपद महोबा में गणेश चतुर्थी, जलविहार एवं बारावफात त्यौहारों तथा इस दौरान निकलने वाले जुलूसों में बेहतर कानून व्यवस्था एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 27.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी महोबा श्री रामप्रकाश, उपजिलाधिकारी सदर श्री शिव ध्यान पाण्डेय तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय की मौजूदगी में थाना क्षेत्र के आयोजकों एवं डीजे संचालकों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई।

बैठक में आयोजकों एवं डीजे संचालकों को शासन की गाइडलाइन से अवगत कराते हुए ध्वनि सीमा का पालन करने, धार्मिक स्थलों एवं अस्पतालों के पास डीजे न बजाने, जुलूस निर्धारित मार्ग से ही निकालने तथा आपसी सौहार्द बनाए रखने संबंधी हिदायतें दी गईं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

जलविहार – चंदेलकालीन इतिहास से समृद्ध महोबा नगर अपने सरोवरों और तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। इन जलाशयों में होने वाला जलविहार सदियों से महोबा की सांस्कृतिक पहचान रहा है, जो आज भी स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह आयोजन बुंदेलखंड की सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली परंपराओं से जोड़ने का कार्य भी करता है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 27.08.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा पुलिस लाइन महोबा में रात्रिकालीन गणना के दौरान रिक्रूट आरक्षियों से वार्ता कर कुशलक्षेम प्राप्त किया गया।

प्रशिक्षण निदेशालय एवं ट्रेनिंग मैनुअल का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा- निर्देश...

आज दिनांक 27.08.2025 को क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गोंड द्वारा पुलिस लाइन महोबा में रात्रिकालीन गणना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उपस्थित रिक्रूट आरक्षियों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान उनकी मूलभूत आवश्यकताओं एवं समस्याओं के विषय में जानकारी प्राप्त की।

क्षेत्राधिकारी महोदय ने रिक्रूट आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन, परिश्रम एवं ईमानदारी के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि प्रशिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु सभी अधिकारी सदैव तत्पर रहेंगे।

निरीक्षण के दौरान प्रतिसार निरीक्षक, इनडोर/आउटडोर प्रभारी तथा अन्य सभी इंस्ट्रक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय प्रशिक्षण निदेशालय के दिशा-निर्देशों एवं ट्रेनिंग मैनुअल का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए शारीरिक दक्षता, विधिक ज्ञान, अनुशासन, शिष्टाचार तथा जनोन्मुखी पुलिसिंग के सिद्धांतों पर विशेष बल दिया जाए।

क्षेत्राधिकारी महोदय ने यह भी कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षी ही भविष्य में जनपद व प्रदेश की कानून-व्यवस्था की रीढ़ साबित होंगे, अतः उनका प्रशिक्षण उच्च गुणवत्ता का होना अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रिक्रूट आरक्षियों में सेवा भावना, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने हेतु नियमित परामर्श एवं मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए जाएं।

निरीक्षण के उपरान्त क्षेत्राधिकारी चरखारी ने समस्त प्रशिक्षण स्टाफ की सराहना की तथा भविष्य में प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं परिणामकारी बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।